

01/08/20

अधिवक्ता अपीलॉट अनु। अपीलॉट व उनके अधि-  
वक्ता को न्यायालय की ओर से बार-बार आगये  
लगाने के बावजूद और उपस्थित नहीं आया लिहाजा  
पञ्जावली अद्वय हाजिरी अद्वय पैरगी में खरिज  
की जाते हैं पञ्जावली फौजल शुमार होकर बाद आवश्यक  
कार्यवाही शक्ति हकूल है।